

24/3/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट
अनु! अपीलान्ट एवं उनके अधिवक्ता
को न्यायालय की ओर से बार-बार
आवाजें लगाई गईं लेकिन उनकी ओर
से कोई उपस्थित नहीं था। अतः पत्रावली
अदम्य हाजरी, अदम्य पैरवी में ब्यारिज
की जाती है। पत्रावली फैनल सुमरडोउर
बाद आवश्यक कार्यवाही दायिजल दफ्तर
हो।